

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

Fraudulent Registration Case No. - 28 / 2022

मुरलीधर प्रसाद बनाम् दीपक कुमार वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पंदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
कार्रवाई के
तिप्पणी त

21-10-2022

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक मुरलीधर प्रसाद, पे०-स्व०त्रिवेणी अग्रवाल, सा०-204 शिवा पैलेस, डॉ० एच०पी० नारायण लेन, बरियातु रोड, पो०-रिम्स, थाना-बरियातु, जिला-राँची, झारखण्ड के द्वारा Under Section 83 of the Registration Act.-1908 के तहत आवेदन दायर किया गया है। जिसे प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनावार्ई की गई।

विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में ही संभव है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा दायर किये गये आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीनिया
21.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवीनिया
21.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।